न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम् सिवान।
प्रोबेट वाद सं0–60 / 2024
सी0आई0एस0 न0–60 / 2024

1. मीना देवी, पति केदार साह,

साकिन–अग्रवाल टोली, थाना–सिवान नगर, जिला सिवान,

.....आवेदिका

बनाम

1. राधे कुमारी
2. अनुशका कुमारी

दोनो पिता– स्व0 राजेश कुमार,

साकिन–नया किला, कमकर टोली, पोस्ट–सिवान, थाना–सिवान नगर, जिला– सिवान।

.....विपक्षीगण।

आवेदिका की ओर से – श्री यश राज (अधिवक्ता)

आपत्तिकर्तागण की ओर से – कोई नहीं

सिवान, दिनांक 11.06.2026

उपस्थितः– **श्री उमाशंकर,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम्,
सिवान।

आ दे श

01. प्रस्तुत प्रोबेट आवेदन आवेदिका मीना देवी की ओर से राजेश कुमार द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 18.04.2022 में वर्णित संपत्ति के निश्वत प्रोबेट / प्रशासनिक पत्र निर्गत करने हेतु दाखिल किया गया है।

02. वसीयत में उल्लेखित संपत्ति का विवरण प्रोवेट वाद के अन्त में वर्णित है।

03. आवेदिका का कथन है कि राजेश कुमार मेरे पति के सगे भाई थे। उनकी लड़कियॉ प्रस्तुत वाद में विपक्षीगण है, जिनके अभिभावक मेरे पति है। खाता न0 2375 सर्वे न0 2557 का कुल रकबा 9 कट्ठा 3 धुर हाल सर्वे के खतियान में कोला गोड़ और भोला पेसरान मथुरा गो़ड़ साकिन देह बहिस्से बराबर करके बकाश्त के रूप में दर्ज है। कोला गोड़ के दो लड़के सत्यनारायण गोड़ वो गणेश गोड़ हुए। सत्यनारायण गोड़ के एक लडके सीताराम गोड़ और गणेश गोड़ के दो लड़के केदारनाथ साह और राजेश कुमार हुए। कोला गोड़ के वारिसानों के बीच हुए बॅटवारा से जमीमा न0 1 की जमीन राजेश कुमार को हिस्से में मिली। राजेश कुमार मेरे साथ रहते थे, जिनकी सेवा टहल और देखभाल मै और मेरे पति करते थे। मेरे सेवा टहल से खुश होकर राजेश कुमार ने मेरे पक्ष में सर्वे न0 2557 के 1 कठ्ठा 19 धुर 10 धुरकी जमीन के संबंध में दिनांक 18.04.2022 को रजिस्ट्रीसुदा वसीयतनामा तहरीर किया। राजेश कुमार की मृत्यु दिनांक 30.07.2022 को हो गई। राजेश कुमार ने दिनांक 18.04.2022 को वसीयतनामा का मजमुन कातिब गुलजार हुसैन से लिखवाया। वसीयतनामा के मजमुन को योगेश्वर सिंह से टंकित करवाया। कातिब गुलजार हुसैन ने वसीयतनामा का मजमुन को सुन समझ कर वसीयतकर्ता राजेश कुमार ने वसीयतनामा पर अपने पॉचों अॅगूलियों का निशान दिया। वसीयतनामा पर वसीतयतकर्ता राजेश कुमार के पॉचों अंगुलियों के निशॉन का सत्यापन कुंज बिहारी श्रीवास्तव वो गुलजार हुसैन ने किया। वसीयतनामा का तहरीरी भाग गुलजार हुसैन ने लिखा। गुलजार हुसैन ने वसीयतनामा पर गवाह के रूप में भी अपना हस्ताक्षर किया है। वसीयतनामा को निष्पादन हेतु निबंधन कार्यालय सिवान में जिला निबंधन के समक्ष राजेश कुमार ने प्रस्तुत किया। जिला निबंधक के समक्ष राजेश

कुमार का पहचान गुलजार हुसैन ने किया। राजेश कुमार दिनांक 30.07.2022 को मेरे साथ कमकर टोली सिवान नगर परिषद, सिवान थाना वो जिला सिवान में रहते हुए अपने पीछे अपनी दो लड़कियों को अपना कानूनी वारिस छोड़कर मर गए। आवेदिका की सेवा टहल से राजेश कुमार खुश होकर स्वस्थ मानसिक स्थिति में दिनांक 18.04.2022 को आवेदिका के पक्ष में अपनी संपत्ति के निश्वत (वाद के अन्त में वर्णित) एक वसीयत निष्पादित किया, जो उनकी अंतिम वसीयत है। राजेश कुमार की मृत्यु दिनांक 30.07.2022 को हो गई। अतएव उपरोक्त वसीयतनामा के आलोक में आवेदिका के पक्ष में प्रोबेट / प्रशासनिक पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए।

04. वयीयत वाद को विचारार्थ स्वीकृत किये जाने के बाद आवेदिका उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से न कोई उपस्थित हुए ओर न ही कोई आपत्ति दाखिल की गई। प्रस्तुत वसीयत वाद श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान के आदेशानुसार इस न्यायालय के पंजी में निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

05. निम्नांकित वाद बिन्दुओं का गठन प्रस्तुत प्रोवेट वाद के विचारण हेतु किया गयाः—

I. क्या आवेदिका के द्वारा दाखिल प्रोवेट आवेदन विधितः पोषणीय है?

II. क्या प्रस्तुत प्रोवेट निर्गत करने हेतु दाखिल आवेदन धारा 276 भा0उ0 अधीनियम द्वारा वाधित है?

III. क्या वसीयतनामा दिनांक 18.04.2022 जो राजेश कुमार द्वारा निष्पादित किया गया था, वास्तविक एवं वैध वसीयत है?

IV. क्या आवेदिका प्रस्तुत वसीयत वाद के अंत में वर्णित सम्पति के बावत न्यायालय से प्रोबेट / प्रशासनिक पत्र प्राप्त करने की अधिकारी हैं ?

V. क्या आवेदिका किसी अन्य अनुतोष जैसा उनके द्वारा दावा किया गया है, पाने के अधिकारी है?

म न्त व्य

06. आवेदिका द्वारा प्रोवेट वाद के समर्थन में तीन साक्षियों क्रमशः साक्षी सं0—1. मीना देवी (स्वयं आवेदिका), साक्षी सं0 — 2 कुॅंज बिहारी श्रीवास्तव एवं साक्षी सं0 3—गुलजार हुसैन, का साक्ष्य कराया गया है।

दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वसीयतनामा को प्रदर्श—01, खतियान की सच्ची प्रति को प्रदर्श —2 एवं राजेश कुमार के मृत्यु प्रमाण पत्र को प्रदर्श—3 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है।

07. वाद बिन्दु सं. III एवं IV एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। अतएव इन दोनों वाद बिन्दुओं को विचारणार्थ एक साथ ग्रहण किया जाता है। **साक्षी सं. 01 मीना देवी** ने अपने साक्ष्य के क्रम में आवेदन पत्र में वर्णित कथनों तथा राजेश कुमार द्वारा आवेदिका के पक्ष में वसीयतनामा लिखे जाने के तथ्य का पूर्ण रूपेण समर्थन किये है। **साक्षी सं0 2 कुॅंज बिहारी श्रीवास्तव** ने आवेदिका के पक्ष में वसीयतनामा लिखे जाने का पूर्ण रूपेण समर्थन किया तथा कहा है कि राजेश कुमार के कहने पर गुलजार हुसैन उक्त वसीयतनामा का मजमुन तैयार किये जिसे टंकक योगेश्वर सिंह ने टंकित किया। गुलजार हुसैन ने उक्त वसीयतनामा का मजमुन राजेश कुमार को पढ़कर सुना समझा दिया, जिससे संतुष्ट होकर राजेश कुमार ने उक्त वसीयतनामा पर अपना हस्ताक्षर एवं अंगूठे एवं अंगूलियों का निशान बनाया तथा उनकी पहचान गुलजार हुसैन किये। राजेश कुमार के

कहने पर मैने तथा गुलजार हुसैन ने वसीयतनामा गवाह के रूप में अपना–अपना हस्ताक्षर बनाया। इस साक्षी ने वसीयतनामा को प्रदर्श–1 के रूप में साबित किया है। **साक्षी सं0 3 गुलजार हुसैन** ने वसीयत लिखे जाने का पूर्ण रूपेण समर्थन किया है तथा कहा है कि मैने वसीयतनामा का मजमुन राजेश कुमार के कहने पर तैयार किया तथा उन्हें सुना समझा दिया। वसीतयनामा मजमुन सही पाकर राजेश कुमार को सुना समझा दिया। राजेश कुमार के कहने पर मैने और कुॅज बिहारी श्रीवास्तव ने वसीतयनामा पर गवाही बनाया। कुॅज बिहारी ने गवाह के रूप में अपना हस्ताक्षर मेरे समक्ष और राजेश कुमार के समक्ष किया।

न्यायालय प्रश्न के दौरान ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे साक्षियों अभिकथनों पर अविश्वास किया जा सके।

08. अभिलेख एवं उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रस्तुत प्रोवेट आवेदन मीना देवी की ओर से राजेश कुमार द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 18.04. 2022 के आधार पर प्रोवेट वाद के अंत में वर्णित सम्पत्ति के निस्वत् प्रोबेट / प्रशासनिक पत्र निर्गत करने हेतु दाखिल गया है। क्रमशः साक्षी सं0–1. मीना देवी (स्वयं आवेदिका), साक्षी सं0 – 2 कुॅज बिारी श्रीवास्तव एवं साक्षी सं0 3–गुलजार हुसैन, का साक्ष्य कराया गया है।

दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वसीयतनामा को प्रदर्श–01, खतियान की सच्ची प्रति को प्रदर्श –2 एवं राजेश कुमार के मृत्यु प्रमाण पत्र को प्रदर्श–3 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है।

09. आवेदिका की ओर से परीक्षित सभी साक्षियों ने वसीयत वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों का स्वभाविक रूप से समर्थन एवं सम्पोषण किया है। साक्षियों ने राजेश कुमार द्वारा कथित वसीयत आवेदिका के पक्ष में दिनांक 18.04.2022 को निष्पादित किये जाने के तथ्य का समर्थन करते हुए कहा है कि उक्त वसीयत राजेश कुमार की इच्छानुसार तैयार की गई थी। वसीयत तहरीर होने के उपरांत राजेश कुमार को पढ़कर सुनाया व समझाया गया था, जिसके उपरांत पूर्ण होशो हवास में गवाहान के समक्ष उन्होंने वसीयतनामा पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में वसीयतनामा को प्रदर्श–'1' के रूप में अभिलेख पर लाया गया है, के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कथित सम्पत्ति जो वसीयत वाद पत्र के अंत में वर्णित है, वसीयतकर्ता की संपत्ति थी तथा उक्त सम्पत्ति को स्वामी की हैसियत से उन्हें वसीयत लिखने का स्वत्व एवं अधिकार प्राप्त था। साक्षियों ने राजेश कुमार द्वारा स्वस्थचित्त अवस्था में उक्त वसीयत लिखे जाने के तथ्य का तात्विक रूप से प्रष्फुटन एवं समर्थन किया है। इन साक्षियों ने यह भी कहा है कि राजेश कुमार की मृत्यु 30.07.2022 को हुई थी। कथित वसीयत एक निबंधित दस्तावेज है तथा इसकी शुद्धता पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगाया गया है। सभी साक्षियों द्वारा आवेदिका के पक्ष में दिनांक 18.04.2022 को उक्त वसीयत तहरीर किये जाने के तथ्य का स्वाभाविक रूप से समर्थन किया गया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आवेदिका यह साबित करने में सफल रही हैं कि वसीयतकर्ता राजेश कुमार ने आवेदिका के पक्ष में दिनांक 18.04.2022 को पूर्णतः स्वस्थ चित्त अवस्था में वसीयत तहरीर किया था, जो उनकी अंतिम वसीयत हैं जो विश्लेषित तथ्यों के आलोक में विधिक रूप से मान्य व वास्तविक प्रतीत होती है।

10. मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि कथित वसीयत स्वस्थचित अवस्था में दिनांक 18.04.2022 को वसीयतकर्ता राजेश कुमार के द्वारा ओवदिका के पक्ष में तहरीर की गई है तथा इनका नाम बतौर मोकिर वसीयत में वर्णित है। ऐसी स्थिति में वसीयत वाद के अंत में वर्णित

सम्पति के बावत आवेदिका के पक्ष में प्रोबेट / प्रशासनिक पत्र निर्गत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार वाद बिन्दु III एवं IV सकारात्मक रूप से आवेदिका के पक्ष में अवधारित किया जाता है।

11. आवेदिका द्वारा प्रस्तुत वाद राजेश कुमार द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 18.04.2022 के निमित्त प्रोवेट निर्गत करने हेतु लाया गया है। उपलब्ध साक्ष्यों से प्रश्नगत वसीयत का वास्तविक एवं वैध होना साबित पाया गया है। वसीयतकर्ता की यह अंतिम वसीयत है जिसके आधार पर आवेदिका वसीयतनामा में वर्णित संपत्ति के निश्वत प्रोवेट / प्रशासन पत्र प्राप्त करने के इच्छुक हैं। वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 30.07.2022 को हुई थी तथा प्रस्तुत प्रोबेट / प्रशासन पत्र आवेदन दिनांक 28.05.2024 को दाखिल किया गया है। उपरोक्त के आलोक में स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वसीयत वाद धारा 276 हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के सिद्धांतो से बाधित नहीं है तथा विधितः पोषणीय एवं वैध वाद हेतुक के आधार पर दाखिल किया गया है। उपरोक्त विश्लेषित तथ्यों के आलोक में आवेदिका के पक्ष में प्रोवेट / प्रशासनिक पत्र निर्गत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार

आ दे श

प्रस्तुत वसीयत वाद, वसीयतनामा दिनांक 18.04.2022 के आधार पर वाद पत्र के अंत में वर्णित सम्पति के निश्वत आवेदिका के पक्ष में प्रोबेट / प्रशासनिक पत्र निर्गत करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय नियमानुसार प्रोबेट निर्गत / प्रशासनिक पत्र निर्गत करें।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(उमाशंकर)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्
सिवान।
दिनांक 11.06.2026

(उमाशंकर)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्
सिवान।
दिनांक 11.06.2026